उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-190/2017/1855/92-2-2017-36जांच/2015
लखनऊ :: दिनांक:: 27 अक्टूबर, 2017

**कार्यालय-ज्ञाप**

शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-197/62-3-2009-14आरई/2009 दिनांक 24-2-2009 द्वारा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-काशीराम नगर में डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अंतर्गत ग्राम सभा प्यारमपुर एवं आजादनगर में साइड ड्रेन सी0सी0 रोड एवं के0सी0ड्रेन के निर्माण कार्यो में बरती गयी अनियमितताओं में अंतर्ग्रस्त श्री अब्दुल मुईन खॉ, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, प्रखण्ड-काशीरामनगर के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत आरोप पत्र देकर अनुशासिनक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-सहारनपुर को जांच अधिकारी नामित किया गया।

2- जांच अधिशासी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-सहारनपुर के पत्र सं0-232/ग्रा0अ0वि0/एस0टी0/जांच-अब्दुल मुईन/2014-15 दिनांक 27-06-2014 द्वारा जॉच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। जॉच अधिकारी की उक्त जॉच आख्या में अपचारी अधिकारी पर कोई भी आरोप स्थापित नही पाया गया।

3- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप पत्र, जांच अधिकारी की जांच आख्या व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त श्री अब्दुल मुईन खां, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-काशीराम नगर पर अधिरोपित कोई भी आरोप स्थापित न पाये जाने एवं प्रकरण में परिलक्षित शासकीय क्षति, लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा अनुभाग-3 के शासनादेश दिनांक 14-07-2009 के अनुसार सहिष्णुता सीमा के अंदर होने के द्रष्टिगत श्री खां के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24-02-2009 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को भविष्य के लिये सचेत रहने की चेतावनी देते हुये समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

**संख्या-190/2017/1855(1)/92-2-2017 तददिनांक।**

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-सहारनपुर।

3- श्री अब्दुल मुईन खां, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-काशीराम नगर द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( वी0के0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://s sanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।